

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर जिला दमोह के अन्तर्गत वनमंडल दमोह के वन परिक्षेत्र तेजगढ़ के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 62 का रकबा 44.20 हेक्टेयर, एवं कक्ष क्रमांक आर.एफ. 320, 321 का रकबा 11.10 हेक्टेयर कुल रकबा 55.30 हेक्टेयर वनभूमि पारना लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: 24/04/2018

स्थान: भोपाल


(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)

(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग